

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/आवंटन-व्यय/25210/2017-18

दिनांक : 05-03-2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)


विषय : पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति विशेष पिछड़ा वर्ग योजनान्तर्गत बजट आवंटन वर्ष 2017-18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु वर्ष 2017-18 के लिए बजट आवंटित किया जाता है -

क्र. सं.	ऑफिस आई.डी.	जिला शिक्षा अधिकारी	विशेष पिछड़ा वर्ग 2225-03-196-(06)-[05]-13	
			विद्यार्थी संख्या	बजट राशि
1	16289	AJMER-I	781	405096
2	16290	AJMER-II	1026	561006
3	6452	ALWAR-I	795	508112
4	6454	ALWAR-II	2149	1315801
5	21127	BANSWARA	368	213404
6	21800	BARAN	969	554851
7	13976	BARMER	1155	537941
8	7236	BHARATPUR-I	541	344896
9	7239	BHARATPUR-II	997	622626
10	17971	BHILWARA-I	4039	2113277
11	17972	BHILWARA-II	3482	1787184
12	3735	BIKANER	72	37202
13	17137	BUNDI	2345	1369169
14	21402	CHITTAURGARH	2176	1149609
15	4492	CHURU	147	85970
16	8914	DAUSA	2137	1363352
17	7576	DHAULPUR	1618	919904
18	20897	DUNGARPUR	566	324063
19	2735	GANGANAGAR	20	10417
20	3282	HANUMANGARH	46	26312
21	10196	JAIPUR-I	2181	1293615
22	10198	JAIPUR-II	4208	2572214
23	13291	JAISALMER	15	6561
24	14459	JALOR	2618	1304099
25	22087	JHALAWAR	1632	925315
26	5349	JHUNJHUNUN	1612	999719
27	13122	JODHPUR-I	158	87391
28	31714	JODHPUR-II	75	40516
29	8055	KARALI	1863	1117954
30	21597	KOTA	1604	946892
31	12261	NAGAU-I	475	269613
32	12262	NAGAU-II	900	501956
33	15571	PALI	3448	1802877
34	22191	PRATAPGARH	512	290176
35	18401	RAJSAMAND	1434	783339
36	8468	S.MADHOPUR	3736	2179902
37	11216	SIKAR-I	443	260617
38	11219	SIKAR-II	1061	646841
39	14800	SIROHI	3152	1544830
40	16781	TONK	3311	1941674
41	20688	UDAIPUR-I	651	348549
42	20689	UDAIPUR-II	314	172279
		Secondary Education	60832	34287121
		1558-Elementry Education	0	0
		958-Sanskrit Education	1254	712858
		Grand Total	62086	34999979

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशनुसार किया जावे :-

1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत ही किया जावे।
2. उक्त आवंटित राशि का आहरण इस आदेश से आवंटित राशि एवं पूर्व आवंटन की शेष राशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जावे।
3. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं इस विभाग द्वार जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
4. **छात्रवृत्ति की राशि का आहरण जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों हेतु किया जाएगा। छात्रवृत्ति राशि का वितरण छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करें।**
5. शालादर्पण से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार आवंटन किया जा रहा है, अतः शालादर्पण से डाटा प्राप्त कर भामाशाह पोर्टल पर अपलोड करते हुए छात्रवृत्ति राशि का आहरण किया जना है। विस्तृत निर्देश छात्रवृत्ति अनुभाग से जारी किए गए हैं।
6. राशि आहरण माह सितम्बर, 2018 में किया जाना सुनिश्चित करें।


वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोग/आवंटन-व्यय/25210/2017-18

दिनांक :

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
5. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
6. लेखाधिकारी बतट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
7. अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
8. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।


लेखाधिकारी